UPMO010111552018

न्यायालयः खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण/ज़िला न्यायाधीश, मुरादाबाद।

सिविल अपील(एफ0एस0एस0ए0) संख्या–94/2018

सर्वेश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि।

25–03–2026/1

1. पत्रावली पेश हुई।
2. बार–बार पुकार पर भी अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है, न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. पत्रावली लंच बाद पुनः पेश हो।

खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण/
जिला न्यायाधीश,
मुरादाबाद।

25–03–2026/2

1. पत्रावली लंच बाद पेश हुई।
2. प्रत्यर्थी संख्या–01 की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) उपस्थित हैं। बार–बार पुकार पर भी अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है, न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. पत्रावली के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि, न्यायालय द्वारा अपील की ग्राह्यता पर पारित आदेश दिनांकित 12–11–2018 व तत्पश्चात पारित आदेश दिनांकित 18–05–2019, 15–07–2019, 07–02–2026 व 21–02–2026 के द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थीगण पर तामीला हेतु पैरवी किये जाने के लिए निर्देशित किया गया था, परन्तु कार्यालय आख्या के अनुसार अपीलार्थी द्वारा न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आज तक प्रत्यर्थीगण पर तामीला हेतु कोई पैरवी नहीं की गयी है। पिछली 35 तिथियों से अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है। आज भी अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है और न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस समय 02:39 अपराह्न का समय हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि, अपीलार्थी को प्रश्नगत अपील में रूचि नहीं है। तद्नुसार अपील, अपीलार्थी की अनुपस्थिति एवं अदम पैरवी में निरस्त की जाती है। विचारण न्यायालय का अभिलेख वापस भेजा जाये।
4. पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(सै0 माऊज़ बिन आसिम)
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण/
जिला न्यायाधीश,
मुरादाबाद।
I.D.N0–UP 1895

Digitally signed by SYED MAOOZ BIN ASIM
Date: 2026.03.25 15:34:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court